<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी</u> चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.—617/14 संस्थित दिनांक— 28.10.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	
आरक्षी केन्द्र पिपरई	
जिला अशोकनगर।	अभियोजन

विरुद्ध

मलखान सिंह पुत्र गजराज सिंह अहिरवार उम्र 25 साल, निवासी ग्राम देसाईखेडा, जिला—अशोकनगर म०प्र०

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 13.10.2017 को घोषित)</u>

- 01—अभियुक्त के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 294, 323 चार शीर्ष, 336, 506 भाग—2 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 05.10.2014 को रात्रि करीब 09:00 बजे फरियादी के घर के सामने ग्राम देसाईखेडा में आहत खिलन सिंह को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी रामलाल व आहत रमकोबाई, खिलन व वीरन की खपरें से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित कर फरियादी रामलाल व आहत रमकोबाई, खिलन व वीरन पर उपेक्षा व उतावलेपन से खपरें फेंककर मानव जीवन संकटापन्न किया व उनको जान से मारने की धमकी देकर क्षोभ कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05.10.2014 की रात करीबन 9 बजे फरियादी रामलाल अपने घर पर था, तभी पास में रहने वाला मलखान सिंह रामलाल के लड़के खिलन सिंह को मां बहन की बुरी बुरी गालिया दे रहा था, रामलाल ने गालियां देने से मना किया, मलखान से खपरा की मारी जो रामलाल बाये हाथ के पंजा में लगी चोट होकर निशान बन गया, चिल्लाचोट सुनकर रामलाल की पत्नी रमकोबाई बचाने आई तो मलखान ने उसके साथ भी मारपीट कर दी, जिससे बाये हाथ के ढड़ा में लगी चोट होकर खून निकलने लगा, एक खपरा ओर मारा जो कमर लगा मुंदी चोट आई तब रामलाल की पत्नी को बचाने लड़का खिलन व वीरन आये तो मलखान ने उनके साथ भी खपरा फेंक कर लापरवाही पूर्वक मारे जिससे खिलन को मलखान सिंह पुत्र गजराज सिंह अहिरवार भी चोटें आई। मलखान ने जाते हुये कहा रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा। मोके पर पिस्ताबाई और दीपक थे जिन्होने घटना देखी उसने

दिनांक 06.10.2014 फरियादी रामलाल द्वारा पुलिस थाना पिपरई में अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना पिपरई के अपराध क्रमांक—287/14 अंतर्गत धारा—294, 323 चार मलखान सिंह पुत्र गजराज सिंह अहिरवारशीर्ष, 336, 506 भाग—2 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—30.08.2017 को फरियादी रामलाल सहित घटना में आहत वीरन, खिलन व रमको बाई द्वारा अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द0प्रश्रस0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्त को भा0द0वि0 की धारा 294, 323 चार शीर्ष, 506 भाग—2 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्त पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा 336 शमनीय प्रकृति की नहों से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।
- 04—अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 05.10.2014 को रात्रि करीब 09:00 बजे फरियादी के घर के सामने ग्राम देसाईखेडा में फरियादी रामलाल व आहत रमकोबाई, खिलन व वीरन पर उपेक्षा व उतावलेपन से खपरें फेंककर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- 2. दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

06— प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये, अभियोजन की ओर से फरियादी रामलाल (अ०सा0—1) सिहत घटना में आहत वीरन (अ०सा0—2), खिलन (अ०सा0—3) व रमको बाई (अ०सा0—4) के कथन

न्यायालय में कराये गये। फरियादी रामलाल (अ०सा०—1) का अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि 3—4 साल पहले दिपावली के आस—पास घर के बाहर उसके लड़के खिलन (अ०सा०—3) व अभियुक्त के मध्य रात्रि 10:00 बजे वातावरण हो गया था। अभियुक्त उसके लड़के खिलन (अ०सा०—3) को गालियां दे रहा था, तो उस समय वह घर पर सो रहा था और आवाज सुनकर जब वह घर से बाहर निकला तो अभियुक्त वहा से भाग गया। जिसके बाद घटना की रिपोर्ट उसने दूसरे दिन जाकर पुलिस थाना चंदेरी में जाकर की थी।

- 07— फरियादी रामलाल (अ०सा0—1) के अनुसार घटना में केवल अभियुक्त ने उसके लड़के खिलन (अ०सा0—3) के साथ गाली—गलौच की थी जिसकी रिपोर्ट उसने थाने पर की थी। फरियादी के उपरोक्त कथनों का समर्थन स्वयं खिलन (अ०सा0—3) ने अपने कथनों में करते हुये मात्र अभियुक्त के द्वारा उसके साथ गाली—गलौच किया जाना बताया है। इन दोनों ही साक्षियों ने अपने मुख्यपरीक्षण में इस संबंध में कोंई कथन नही दिये कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को गाली—गलौच की घटना के बाद खपरे फेंके थे, जिससे उन्हें चोट आई। अभियोजन की ओर से घटना के अन्य साक्षी वीरन (अ०सा0—2), रमको बाई (अ०सा0—4) के कथन भी न्यायालय में कराये गये, जिनमें से वीरन (अ०सा0—2) का यह कहना है कि घटना के उसके सामने नही हुई और न ही उसे घटना के बारे में कोई जानकारी हैं। रमकोबाई (अ०सा0—4) जो कि फरियादी की पत्नी है अपने न्यायालीन कथनों में घटना के समय घर पर सोना बताती है तथा अपने सामने झगड़ा न होना बताती है।
- 08— अतः रामलाल (अ०सा0—1) सहित वीरन (अ०सा0—2), खिलन सिंह (अ०सा0—3) व रमको बाई (अ०सा0—4) का अपने मुख्यपरीक्षण में अभियुक्त के विरुद्ध कहीं भी यह कहना नही है कि घटना में अभियुक्त ने खपरें फेंके थे, जिससे उन्हें चोट आई थीं। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इन साक्षियों को पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया है, परन्तु आरोपित अपराध के संबंध में किसी भी साक्षी ने अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया तथा फिरयादी के सहित सभी साक्षी इस घटना से इनकार करते है कि अभियुक्त ने घटना में खपरें फेंक मारे थे जिससे उन्हें चोटें आई थी। स्वयं फिरयादी रामलाल (अ०सा0—1) इस संबंध में पुलिस को प्रदर्श—पी—1 की रिपोर्ट एवं प्रदर्श—पी—3 के कथन देने से इन्कार करता है तथा अन्य साक्षी भी इस संबंध में पुलिस को कोई कथन न देना बताते है। अतः अभिलेख पर अभियुक्त के विरुद्ध इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को खपरे फेंके थे, जिससे फिरयादी सहित अन्य लोगों को चोटें आई थी।

- 09— यह उल्लेखनीय है कि उपहित कारित करने का आशय रखते हुये खपरे फेंकने का कृत्य भी भा0द0वि0 की धारा 336 के तहत् उपेक्षा व उतावलेपन के कृत्य की श्रेणी में नही आता है क्योंकि भा0दं0वि0 धारा 336 में उपहित कारित करने के आशय का अभाव रहता है। अतः यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि अभियुक्त ने उपहित कारित करने के आशय से फिरयादी व अन्य पर खपरें फेंके तो उक्त कृत्य भा0द0वि0 की धारा 336 की श्रेणी में नहीं आता है।
- 10— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह पूरी तरह से साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक 05.10.2014 को रात्रि करीब 09:00 बजे फरियादी के घर के सामने ग्राम देसाईखेडा में फरियादी रामलाल व आहत रमकोबाई, खिलन व वीरन पर उपेक्षा व उतावलेपन से खपरें फेंककर मानव जीवन संकटापन्न किया।
- 11—फलतः अभियुक्त मलखान सिंह पुत्र गजराज सिंह अहिरवार के विरूद्ध को कारित हुयी उपहित के संबंध में भादिव की धारा 336 के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा0द0वि0 की धारा 336 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 12—अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)